<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**M/S Little Flower Provincialate & Training Institute of the Medical Sisters of St. Joseph, Gaurabag, Gudamba, P.O., Kursi Road, Lucknow.**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	024 / 15, 30.07.2015
प्रार्थी की ओर से	**श्री डी0 सेमुअल अब्राहम, विद्वान अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

प्रार्थी M/S Little Flower Provincialate & Training Institute of the Medical Sisters of St. Joseph, Gaurabag, Gudamba, P.O., Kursi Road, Lucknow द्वारा दिनांक 30.07.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है कि प्रार्थी के प्रशासनिक नियन्त्रण में उत्तर प्रदेश में संचालित हॉस्पिटल डीलर की श्रेणी में आते हैं अथवा नहीं। डीलर की श्रेणी में न आने पर उक्त संस्था के अधीन hospitals के टिन विड्रा किये जाने का अनुरोध किया।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री डी0 सेमुअल अब्राहम, विद्वान अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्राविधान के तहत संस्थाएं पंजीकृत हैं जिनका उद्देश्य लाभपरक न होकर सेवापरक हैं। मरीजों को दवाइयों की सीधे आपूर्ति की जाती है तथा संस्था / हॉस्पिटल द्वारा चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने हेतु कम्पोजिट चार्जेज / पैकिंग चार्जेज लिये जाते हैं तथा इस प्रकार यह अविभाज्य सेवा संविदा है। कहा गया कि दवाइयों, वैक्सीन, सर्जिकल आइटम्स, एक्स-रे फिल्म तथा प्लेट की इन्डोर मरीजों को की गयी आपूर्ति बिक्री की श्रेणी में नहीं आते हैं। विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए कहा गया कि संविधान के आर्टिकल-12 के अन्तर्गत समानता के सिद्धान्त के अनुरूप अन्य राज्यों की भाँति उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित संस्थानों पर करदेयता निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। अपनी संस्था-फातिमा हॉस्पिटल एवं सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल, लखनऊ द्वारा की गयी दवाओं की खरीद से सम्बन्धित एवं मरीजों को की गयी दवाओं की आपूर्ति के लिए जारी की गयी इनवायसों की प्रतियाँ भी प्रस्तुत की गयीं।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ के पत्र संख्या-1394, दिनांक 23.09.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि धारा-59 के अन्तर्गत दाखिल प्रार्थना-पत्र के बिन्दु संख्या-1, 2, 3 व 4 में व्यापारी द्वारा अपने संस्थानों की स्थापना एवं कार्य के सम्बन्ध में विवरण अंकित करते हुए 05 अस्पतालों द्वारा टिन नम्बर लिया जाना घोषित किया गया है। बिन्दु संख्या-5, 6, 7 व 8 में उनके द्वारा रियायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं दिये जाने एवं फार्मेसी सर्विसेज जैसे दवा वितरण का कार्य किया जाना बताते हुए रियायती दरों पर अर्थात् ग्राहकों को 1-10% की छूट देते हुए दवाओं का वितरण किया जाता है। पैरा-10 से आगे के पैरा में उनके द्वारा कहा गया है कि मरीजों से जो खर्चे लिये जाते हैं वे बिक्री मूल्य की श्रेणी

....2

में नहीं आते हैं। खर्चे मरीज के रोग की जॉच आदि उपचार के खर्चों के रूप में लिये जाते हैं। इसलिए संस्थान न तो डीलर की श्रेणी में आता है और न ही उनके द्वारा कोई बिक्री की जाती है।

सम्पूर्ण मामले में तथ्य यह है कि इन अस्पतालों द्वारा मरीजों से इलाज के लिए कुछ धनराशि प्राप्त करके रजिस्ट्रेशन किया जाता है तथा जॉचोपरान्त आवश्यकतानुसार पैथालॉजीकल जॉच, एक्स-रे आदि कराया जाता है या दवाएं लिखी जाती हैं तो मरीज द्वारा सम्बन्धित काउन्टर पर उनका तुरन्त भुगतान किया जाता है अथवा भर्ती की स्थिति में इन सबके अलग-अलग खर्चे उनके बिलों में जुड़ते रहते हैं। इसी प्रकार सर्जिकल इम्प्लान्ट या चश्मा बनवाना है तो उनके लिए भी मरीज की हैसियत के अनुसार उनका मूल्य लिया जाता है। इलाज के परिप्रेक्ष्य में अस्पताल द्वारा जो दवाइयॉ दी जाती हैं, उनका मूल्य वसूल किया जाता है, चाहे वे संयुक्त रूप से हों अथवा अलग से हों, इस मूल्य को इन्सीडेन्टल नहीं कह सकते हैं। इन संस्थानों द्वारा मरीजों से जो दवाओं एवं अन्य उपकरणों के बदले में जो मूल्य वसूला जाता है, वह बिक्री की परिभाषा में आता है। माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा टी0आर0एस0 अस्पताल बनाम केरल राज्य (2003-1 के एल0टी0 633) के वाद में अस्पतालों को व्यापारी की परिभाषा में माना गया है और सर्वश्री अश्वनी हास्पिटल प्रसा0 लि0 बनाम सी0टी0ओ0 थ्रिससूर एवं अन्य (2012) 20 VLJ 296 के वाद में केरल उच्च न्यायालय द्वारा दवाओं एवं अन्य उपकरणों की बिक्री मानी गयी है।

प्रार्थी द्वारा दवाइयॉ, सर्जिकल आइटम, वैक्सीन्स आदि मरीजों को धनराशि लेकर दी जाती हैं तथा उपरोक्त संव्यवहार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (बी) के अन्तर्गत बिक्री की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। उक्त धारा के अन्तर्गत बिक्री के लिए Valuable Consideration एक आवश्यक तत्व है। चूँकि हॉस्पिटल द्वारा दवाओं के बदले कुछ न कुछ धनराशि प्राप्त की जाती है, इस प्रकार यह संव्यवहार बिक्री के अन्तर्गत आता है। व्यापारी / हॉस्पिटल द्वारा इन्डोर मरीजों से जो कम्पोजिट चार्ज किया जाता है तथा जिसे मेडिकल सेवाओं के रूप में दिखाया जा रहा है, उसमें सर्विस के अन्तर्गत दवाइयॉ, वैक्सीन, सर्जिकल आइटम्स आदि शामिल हैं, जिनकी बिक्री सर्विस के अन्तर्गत नहीं आती है। व्यापारी द्वारा इलाज को मरीज एवं हॉस्पिटल के बीच एक सर्विस कान्ट्रेक्ट बताया गया है, जिसके अन्तर्गत ट्रीटमेन्ट हेतु दवाइयों का मूल्य भी शामिल है। इससे स्वत: स्पष्ट है कि हॉस्पिटल द्वारा Valuable Consideration के अन्तर्गत दवाइयॉ प्रदान की जाती हैं, जो बिक्री की परिभाषा में आती है। इसी प्रकार सीरिंज एवं इन्जेक्शन जो ट्रीटमेन्ट के दौरान प्रयुक्त होते हैं, वह भी बिक्री की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। व्यापारी द्वारा दवाइयॉ, सर्जिकल आइटम्स, वैक्सीन, एक्स-रे आदि को समग्र सेवाओं के अन्तर्गत इन्डोर पेशेन्ट को प्राप्त कराना बताया गया है जिसे उनके द्वारा हॉस्पिटल सर्विस माना गया है और इस प्रकार स्वयं को डीलर की परिभाषा के बाहर माना गया है। जबकि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (एच) के अन्तर्गत ‘‘ डीलर ’’ की परिभाषा निम्न प्रकार है :-

‘‘ Any person who carries on in Uttar Pradesh (whether regularly or otherwise) the business of buying, selling or distributing goods directly or indirectly for cash or deferred payment or for

commission, remuneration or other valuable consideration. ''

इस प्रकार डीलर की उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि दवाइयों, वैक्सीन एवं सर्जिकल आइटम आदि के बदले में valuable consideration प्राप्त करना बिक्री है । व्यापारी द्वारा स्वयं कहा गया है कि पेशेन्ट को प्रदान की जा रही सेवाओं में शामिल मेडिसिन, वैक्सीन, सर्जिकल आइटम्स, एक्स-रे फिल्म एवं प्लेट आदि ट्रीटमेन्ट का आवश्यक भाग है । अत: उक्त की बिक्री, बिक्री की परिभाषा के अन्तर्गत आती है । जहॉं तक मरीजों से उक्त वस्तुओं के लिए अलग से धनराशि चार्ज न किये जाने का प्रश्न है, इस तथ्य से उन वस्तुओं की बिक्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता चूँकि इन वस्तुओं के लिए हॉस्पिटल द्वारा Valuable Consideration प्राप्त किया जाता है । अत: व्यापारी का यह कार्य बिक्री की परिभाषा के अन्तर्गत आता है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार इस प्रकार के संव्यवहारों पर इनकी करदेयता बनती है । इनको किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ac) के अन्तर्गत sale को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

2 (ac) **''sale ''** with its grammatical variations and cognate expressions, means any transfer of property in goods (otherwise than by way of a mortgage, hypothecation, charge or pledge) by one person to another, for cash or for deferred payment or for any other valuable consideration and includes,

(i) a transfer, otherwise than in pursuance of a contract of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;

(ii) a transfer of property in goods (whether as.goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;

(iii) the delivery of goods on hire purchase or any other system of payment by installments;

(iv) a transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;

(v) the supply of goods by an association or body of persons (whether incorporated or not) to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration;

(vi) **the supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever of goods, being food or any other article for human consumption or any drink** (whether or not intoxicating) where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration,

and such delivery, transfer or supply of any goods under subclause (i) to sub-clause (vi) above shall be deemed to be sale of those goods by the person making the delivery, transfer or supply and a purchase of those goods by the person to whom such delivery, transfer or supply is made.

.....4

इस प्रकार स्पष्ट है कि हॉस्पिटल द्वारा मरीजों को सेवा के क्रम में की गयी दवाओं-वैक्सीन अथवा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति भी बिक्री की श्रेणी में आती है। हॉस्पिटल द्वारा विभाग में पंजीयन प्राप्त किया गया है। नियमानुसार खरीद के विरूद्ध टैक्स इनवायसें प्राप्त की जा रही हैं एवं मरीजों को बिल जारी किया जा रहा है, जिसमें वैट वसूला जा रहा है तथा विभाग में जमा भी किया जा रहा है। अत: उनके द्वारा मरीजों को दवाओं आदि की आपूर्ति की सेवाएं बिक्री की श्रेणी के अन्तर्गत है तथा नियमानुसार करदेय होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ac) में परिभाषित बिक्री की परिभाषा से स्वत: स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा संचालित हॉस्पिटल द्वारा मरीजों को आपूर्ति की गयी दवाओं एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति बिक्री की श्रेणी में आती है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (h) के अन्तर्गत वे डीलर की श्रेणी में आते हैं।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

ह0 / 14.12.2015

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।